

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-203/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० प्रियंका प्रकाश, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसथुआ, कोचस, रोहतास द्वारा दिनांक-25.11.2023 से 26.05.2024 तक कुल-184 (एक सौ चौरासी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-425(25), दिनांक 11.03.2024 एवं वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० प्रकाश को 546 (पाँच सौ छियालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-203/2023-

799(2)

पटना, दिनांक 20/5/ 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सासाराम/ डा० प्रियंका प्रकाश, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसथुआ, कोचस, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव